

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु०न० :- 74 / 2024

निर्णय दिनांक :- 13.01.2025

बड़जलास :- राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)

1

1. धन्सराम पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज०।
2. धर्मेन्द्र पुत्र कानाराम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.
3. रामकिशोर पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
4. हंसराज पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अकरम पुत्र वजीर खॉ जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
2. नारायण पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
3. कमला देवी पत्नी स्व. रामसहाय जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
4. विक्रम पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
5. कृष्णलाल पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
6. कानाराम पुत्र कल्याण जाति जाट, निवासी ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
7. उपतहसीलदार नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।
8. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज.।

अप्रार्थीगण

उपरिस्थिति विद्वान अधिवक्ता :- श्री मुकेश चौधरी वकील प्रार्थीगण
श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील अप्रार्थीगण 1
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 7, 8

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर



(2)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी आदेश फरमायें जाने बाबत्


निर्णय

दिनांक :- 13.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या खतौनी सं. खतौनी सं. 379 के आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मेंदवास, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज, में स्थित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीगण ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमांक/भू.अभि./2024/1048-49 दिनांक 29/05/2024 की पालना में दिनांक 05/06/2024 को पटवारी हल्का लसाडिया से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में हुये सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 को मध्यनजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शे अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते एवं प्रार्थीगण की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते हैं तथा उक्त खसरा नम्बर के लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं. 1132, 1120, 1121, 1155/2, 1134 है जो अपने हिस्से से ज्यादा बढ़कर अतिक्रमण करने की नियत से मेडबंदी को तोडते हैं तथा बिना सीमाज्ञान करवाये प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में कब्जा करने की कोशिश में है इसलिए प्रार्थीगण ने विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 को पटवार हल्का लसाडिया, आई.एल.आर. मेंदवास व उपस्थित खातेदारों की उपस्थिती में सीमाज्ञान करवा चुके हैं जिसके अनुसार प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी जो सीमाज्ञान द्वारा चिन्हित की गई है पर पत्थरगढी करवाकर पुख्ता सीमा कायम कर सके इसलिए पत्थरगढी करवाने बाबत् यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 एवं आदेश क्रमांक/भू.अभि./2024/1048-49 दिनांक 29/05/2024 को उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दि. 05/06/2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थीगण से आये दिन लडाई-झगडा व मेरे कोर को लेकर करते हैं तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते हैं इस कारण प्रार्थीगण

लगातार.....3

उपखण्ड अधिलक्षी
फागी, जयपुर



को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 05/06/2024 एवं उपतहसीलदार नीमेडा के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दि. 05/06/2024 के अनुसार यदि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं० 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह नरुका उपस्थित हुए तथा जवाब पेश कर निवेदन किया कि सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2024 व उपतहसीलदार नीमेडा तहसील फागी के द्वारा पारित ओदश क्रमांक/भू०अभि०/2024/1048-49 दिनांक 29.05.2024 की पालना के अनुसार पटवारी हल्का लसाडिया के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 05.06.2024 के मुताबिक खतौनी सं. 379 के आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया, भू० अभि० मैन्दवास, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी भूमि का उक्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 2 लगायात 6 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए। अप्रार्थी सं. 2 लगायात 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। जवाब में बताया कि उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमांक/भू०अ०/24/1048-1049 दिनांक 29.05.2024 की पालना मे ग्राम लसाडिया के उक्त ख०न० 1133 रकबा 0.4679 हैक्टेयर का भू०अ०नि० मैन्दवास के निर्देशन में दिनांक 05.06.24 की सीमाज्ञान किया था।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 - 2077 वाके ग्राम लसाडिया खाता सं० 379 में प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 03 मे अंकन किया है कि ख.नं. 1133 का दिनांक 05.06.2024 विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।




धन्सुराम बनाम अकरम वगै०
मु०न०-74/2024
निर्णय दिनांक:-13.01.2025

(4)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख०न० 379 के आराजी खसरा नम्बर 1133 रकबा 0.4679 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया, तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



13/01/25
(राकेश कुमार मौरा)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला
जयपुर

सत्यमेव जयते